

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

:: संशोधित आदेश ::

श्री रामलाल रेगर प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालेड़ा पं०स० केकड़ी जिला अजमेर के पक्ष में जारी नाम परिवर्तन आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/ए-4/उपनाम परिवर्तन/2015-16/59 दिनांक 15.10.2020 में इनके विद्यालय का स्थान कालेड़ा पं०स० केकड़ी जिला अजमेर के स्थान पर कालेड़ा कंवरजी पं०स० केकड़ी जिला अजमेर संशोधित पढ़ा जावे। शेष शर्तें मूल आदेश दिनांक 15.10.2020 के अनुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-4/उपनाम परिवर्तन/2015-16/213 दिनांक : 13<sup>01</sup>/<sub>21</sub>

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), अजमेर मण्डल, अजमेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, केकड़ी जिला अजमेर
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालेड़ा कंवरजी, पं०स० केकड़ी जिला अजमेर
5. श्री रामलाल रेगर प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालेड़ा कंवरजी, पं०स० केकड़ी जिला अजमेर
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर